न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 45/2025

बउनवान

भगवान लाल मेहता उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री उदय चन्द जाति किराड़ नि0 बेंहटा तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0 उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बेंहटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज०

(अपीलांट)

बनाम

राज0 राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.)

(रेस्पोंडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 22(1) (A) राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण विनियम आदेश 1976 विभागीय प्रकरण संख्या 19/2024 बनाराजगी आदेश दिनांक 27.06.2025 कार्यालय जिला रसद अधिकारी–बारां,

उपस्थिति :–1.श्री शैलेष मेहता, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 16.02.2026

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. ने दिनांक 26.06.2025 को अपीलाट का प्राधिकार पत्र संख्या 56/2000 को निरस्त कर दिया एवं पोस कोड संख्या 8624 की समस्त प्रतिभूती २शि जप्त कर राशन सामग्री वितरण करने हेतु अस्थाई रूप से वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत बैठा के डीलर श्री रामदयाल मेहता पांस कोड संख्या 8623 को दे दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रवर्तन निरिक्षक शाहबाद द्वारा की रिपोर्ट अनुसार पॉश मशीन 8624 में गेंहू NFSA 139010.25 किग्रा. अन्नपूर्णा फूड पकेट 212, ऑयल पैकिट 207, सहरिया घी 2.55 किग्रा., तेल 3.75 ली. का अवशेष स्टॉक होने पर भी प्रार्थी/अपीलांट द्वारा नियमित रूप से राशन वितरण नहीं किये जाने का आक्षेप लगाया गया है। जिस पर रेस्पो. द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को प्रथम नोटिस दिनांक 25.01.2024 दिया जिसका जबाब प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिया गया परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लेकर आदेश क्रमांक 470–76 दिनांक 22.02.2024 से प्रार्थी/अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। प्रार्थी/अपीलांट का प्राधिकार पत्र विभागीय दिशा दिनांक 31.12.2024 की पालना में आदेश क्रमांक 67 दिनांक 09.01.2025 को बहाल किया गया था जिस पर प्रार्थी/अपीलाट द्वारा 120 क्विं. गेहूँ का समर्पण किया तथा–720 क्वि. गेहूँ का वितरण ऑफलाईन किया गया था। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा पौश कोड 8624 से अटैच डीलर रामदयाल मेहता को अवशेष स्टॉक पॉश मशीन के साथ संमला दिया था जिसके बाद भी प्रार्थी/अपीलांट को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 क़े तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का आक्षेप लगाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। प्रार्थी/अपीलांट को राजनैतिक द्वेषता के कारण झूठी शिकायतों में फंसाया गया है। प्रार्थी/अपीलांट गरीब परिवार का है तथा निर्दोष होने के बावजूद भी बिना सुनवाई का अवसर दिये लाईसेन्स निरस्त कर दिया है. जिससे उसके परिवार को जीवन यापन करने में काफी कठिनाई आ रही है इसलिये प्रार्थी/अपीलांट का लाईसेन्स बहाल किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक होने से बहाल किये जाने के आदेश प्रदान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपी दी। आदेश से असन्तुष्ट होकर माननीय

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद हेतु प्रकरण नियत किया गया।

3– दौराने बहस वकील अपिलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को राजनैतिक द्वेषतावश फंसाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस को रेकार्ड पर नहीं लिया तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4– बहस के दौरान पेरोकार रसद ने अभिभाषक अपीलांट के तर्कों का खंडन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। पुनः अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया जो पत्रावली में संलग्न है। परंतु अपीलांट ने प्रस्तुत जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज अधीनस्थ न्यायलय में पेश नहीं किये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई में जवाब भी पेश किया है। परंतु अपीलांट ने अवशेष स्टॉक गेंहू NFSA 125360.25 किग्रा. अन्नपूर्णा ऑयल पैकेट 205, अन्नपूर्णा किट 210, आंगनबाड़ी गेंहू 3001.05 किग्रा., चना 21.69 किग्रा., चावल 2442.28 किग्रा., दाल NFSA 95.21 किग्रा. अटैच डीलर को नहीं संभलाया इससे अपीलांट द्वारा उक्त अवशेष स्टॉक का गबन किया जाना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपी दी। आदेश से असन्तुष्ट होकर माननीय